तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	मनोहर लाल बनाम मुकियारी दावा नं. 129/2024
21.05.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत उदघोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे पारित निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
139 / 2024	2024 / 412	18.11.2024	21.05.2025

उनवान प्रकरण

मनोहरलाल सैनी पुत्र श्री गोरधनलाल सैनी आयु   वर्ष जाति माली निवासी ढाणी छीतरकावाली तन ग्राम हासपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना (राज0) मो0:–8946848900

–वादी–

बनाम्

भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––प्रतिवादी––

उपस्थित :–

श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

वाद पत्र बाबत् उदघोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)

–:: निर्णय ::–

संक्षे[illegible] है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय [illegible] भूमि खसरा नम्बर 1281 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नम्बर 1285

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.5200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1288 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1289 रकबा 0.2300 हैक्टर, खसरा नम्बर 1290 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 1298 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1301 रकबा 0.3500 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 2.19 हैक्टर जिसके खाता संख्या नया 205 व खाता संख्या पुराना 9 ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) मे स्थित होकर 1/12 हिस्सा की खातेदारी वादी के पिता गोदाराम पुत्र पुराराम के नाम दर्ज हैं किन्तु वास्तव मे वादी के पिता का नाम गोदाराम ना होकर गोरधनलाल हैं। वादी के पिता का नाम राजस्व कर्मचारीयों की गफलत व लापरवाही से दर्ज होने से वादी ने हल्का पटवारी व प्रतिवादी को उक्त नाम दुरूस्त करवाने हेतु बार–बार निवेदन किया था किन्तु उक्त नाम दुरूस्त करवाने के लिए उन्होने वादी को न्यायालय के आदेश लाने हेतु कहे जाने पर दावा पेश किया जा रहा हैं। उक्त त्रुटि की जानकारी पूर्व मे न तो वादी के पिता को हुयी और न ही पिता की मृत्यु के पश्चात् वादी को हुयी। वादी के पिता का रिकार्डेड नाम गोरधनलाल सैनी हैं तथा वादी के आधार कार्ड, वादी के पिता के मृत्यु प्रमाण–पत्र तथा वादी की माता के राशनकार्ड व वादी की माता पतासी के आधार कार्ड व वादी के स्वंय के राशनकार्ड व बिजली बिल मे वादी के पिता का नाम गोरधनलाल सैनी हैं। इसलिए उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने का वादी कानूनी अधिकारी हैं तथा इसकी घोषणा हेतु वादी न्यायालय के समक्ष यह वादपत्र लेकर आया हैं। उक्त प्रकरण के प्रतिवादी राजस्व अधिकारी होकर राजस्व रिकार्ड का संधारन करके वाला अधिकारी हैं। इस कारण प्रतिवादी के विरूद्व दावा करने से पूर्व 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं परन्तु मामला आवश्यक प्रकृति का हैं। इस कारण उक्त दावा 80 (2) सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र की स्वीकृति के बाद पेश किया जा रहा हैं। वादी के भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली वित्तिय सुविधा/आर्थिक मदद हेतु आवेदन करने हेतु विरासत का नामान्तकरण भी वादी का नही खुला हैं तथा उक्त विरासत का नामान्तकरण भी वादी के पिता के नाम मे शुद्व होने पर ही खोलने का संबंधित द्वारा बताया गया हैं। इसलिए वादी के पिता का दस्तावेजो मे नाम व राजस्व रिकार्ड से बेमेल होने से उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नामान्तकरण की प्रकिया भी पुरी नही हो पा रही हैं तथा उक्त त्रुटि की जानकारी भी वादी को 1 माह पूर्व होने से वादकारण उत्पन्न होकर लगातार बना हुआ हैं और दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं। वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादपत्र में उदघोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड इस अमर की पारित की जावे कि खसरा नम्बर 1281 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नम्बर 1285 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.5200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1288 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1289 रकबा 0.2300 हैक्टर, खसरा नम्बर 1290 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 1298 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1301 रकबा 0.3500 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 2.19 हैक्टर जिसके खाता संख्या नया 205 व खाता संख्या पुराना 9 अवस्थित ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में दर्ज 1/12 हिस्सा की खातेदारी वादी के पिता गोदाराम पुत्र पुराराम के स्थान पर गोरधनलाल पुत्र पुराराम दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने का आदेश प्रतिवादी को दिये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 544/भू.अ./2025 दिनांक 12.02.2025 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का हासंपुर से जॉच करवाई जाकर अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार खाता संख्या 205 में खातेदार का वर्तमान नाम गोदाराम पुत्र पूराराम जाति माली दर्ज रिकार्ड है। उक्त नाम में यह परिवर्तन जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2030 में पूरा पुत्र जो[illegible]रासत नामान्तकरण दर्ज करते समय इनके वारिसान में कजोड़मल, [illegible] पिता पूरा जाति माली

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दर्ज किया गया है। गाव के मजमे-ए-आम एवं पड़ौसी खातेदारान से पूछताछ की जाने पर उक्त नाम एवं वल्दियत का इस गांव में अन्य कोई व्यक्ति नहीं होने एवं उक्त नाम गोदाराम पुत्र पूराराम व गोरधन लाल पुत्र पूराराम जाति माली दोनों एक ही व्यक्ति है। जिसके लिए सरपच, ग्राम पंचायत हासंपुर का प्रमाण पत्र संलग्न है। गोदाराम पुत्र पूराराम जाति माली के अन्य दस्तावेजात यथा बिजली बिल, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र में गोरधन लाल पुत्र पूराराम जाति माली दर्ज है। जिसकी फोटोप्रति संलग्न है। प्रकरण में वकील वादी ने वाद पत्र में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निरस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रकरण में बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। प्रकरण में अन्तिम निर्णय किये जाने से पूर्व प्रकरण में वादी के पिता स्व0 गोदाराम उर्फ गोरधन लाल के सभी पुत्र पुत्रियों की सहमति व पिता का नाम दुरूस्त कराने के सम्बन्ध में सहमति पत्र व वांछित दस्तावेजात् पेश करने की वकील वादी को हिदायत दी गई। जिस पर वकील वादी ने सरंपच, ग्राम पंचायत हासंपुर द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांकित 24.04.2025, पारिवारिक सहमति पत्र द्वारा पत्नि पतासी देवी, पुत्र गिरधारी लाल एंव पुत्रियॉ ज्यानादेवी, कमला देवी का पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है। उक्त दस्तावेजात् पेश कर वकील वादी ने प्रकरण में बहस सुनी जाने का निवेदन किया।

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की जमाबंदी, 2027–2030, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 का बिजली का बिल, सरपंच, ग्राम पंचायत हासंपुर का नाम के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र गोरधन लाल पुत्र पूराराम माली, पारिवारिक सहमति पत्र, पटवारी हल्का हासंपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाई गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:19 IST
Reason: SelfAttested

अभिलेख रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादपत्र में अंकित कृषि भूमियों की खातेदारी वादी के पिता गोदाराम पुत्र पूराराम जाति माली सा. देह के नाम दर्ज हिस्सा 1/12 व अन्य खातेदारान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। वादी व वादी की माता व बहिनों के अन्य दस्तावेजात यथा मतदाता सूचि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड, बिजली का बिल इत्यादि में वादी के पिता का नाम गोदाराम दर्ज नहीं होकर गोरधन लाल दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है तथा सरपंच, ग्राम पंचायत हांसपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी वादी के पिता का नाम गोरधन लाल पुत्र पूराराम अंकित होना प्रकट होता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जॉच रिपोर्ट में भी गोरधन लाल पुत्र पूराराम व गोदाराम पुत्र पूराराम एक व्यक्ति के नाम होना तथा उक्त ग्राम में इस नाम व वल्दियत का अन्य कोई व्यक्ति नहीं होना अंकित किया है। वादी के पिता गोदाराम पुत्र पूराराम व गोरधन लाल पुत्र पूराराम एक ही व्यक्ति का नाम होना रिकॉर्ड से प्रकट होता है, जिसे दुरूस्त कराने हेतु वादी की माता, बहिनों ने एक पारिवारिक सहमति पत्र लिखकर न्यायालय के समक्ष पेश कर अपने पति/पिता का नाम दुरूस्त कराने का निवेदन किया है। वादपत्र में वादी ने अपने भाई गिरधारी लाल सैनी के राशन कार्ड की प्रति भी संलग्न की है जिसमें भी उसके पिता का नाम गोर्वधन लाल सैनी ही अंकित है। उक्त विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत दावे में वादी के पिता का नाम गोर्वधन लाल सैनी उर्फ गोदाराम अंकित किया जाना उचित होने से दावा स्वीकार कर वादी के पिता का नाम गोर्वधन लाल सैनी उर्फ गोदाराम अंकित किये जाने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:19 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि खसरा

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नम्बर 1281 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नम्बर 1285 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.5200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1288 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1289 रकबा 0.2300 हैक्टर, खसरा नम्बर 1290 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 1298 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1301 रकबा 0.3500 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 2.19 हैक्टर अवस्थित ग्राम हांसपुर पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में दर्ज 1/12 हिस्सा की खातेदारी में वादी के पिता गोदाराम पुत्र पुराराम के स्थान पर गोरधनलाल उर्फ गोदाराम पुत्र पुराराम घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्तानुसार खातेदारी दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:55:19 IST
Reason: SelfAttested